न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री चेतन कुमार त्रिपाठी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 32/2016

वादीगण

1 मेवाराम 2 उदाराम 3 हेमन्त पिसरान हराराम जाति माली निवासी कवास तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1 वालाराम 2 वीरमाराम 3 नरेन्द्र पिसरान हराराम 4 खेराजराम पुत्र उम्मेदाराम जाति माली निवासी दूंढा (कवास) तहसील व जिला बाड़मेर 5 तहसीलदार बाड़मेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,53 RTA Act.

उपस्थिति :— 1. श्री मनोज पारीक, वकील वादीगण।
2. श्री अम्बालाल जोशी वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 03।

निर्णय

दिनांक 24.04.2017

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा दूंढा के खेत खसरा संख्या 811/403 रकबा 2.02 बीघा तथा खसरा संख्या 840/427 रकबा 03.17 बीघा, खसरा संख्या 1162/427 रकबा 03.11 बीघा तथा खसरा संख्या 1167/395 रकबा 0.12 बीघा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। वादग्रस्त भूमि के खसरा संख्या 811/403 में वादीगण प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 03 का 1/3 हिस्सा इसी प्रकार खसरा संख्या 840/427, 1162/427 व 1167/395 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा खातेदारी का है। उसी अनुसार पक्षकारान का मौके पर कब्जा एवं काश्त है। प्रतिवादी संख्या 01 से 04 द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर रहे है। लिहाजा माफिक हिस्सा एवं कब्जा काश्त अनुसार वादीगण का हिस्सा पृथक कर विभाजन करावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाद में उल्लेखित वर्तमान खसरा संख्या 811/403 रकबा 02.02 बीघा प्रतिवादी संख्या 04 की सहखातेदारी सहित खसरा संख्या 840/427 रकबा 03.17 बीघा, खसरा संख्या 1162/427 रकबा 03.11 बीघा व खसरा संख्या 1167/395 रकबा 0.12 बीघा केवल वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि गांव दूंढा (कवास) में आये हुए है परन्तु वादीगण द्वारा उक्त तथ्य को छिपाकर खसरा संख्या 977/392 रकबा 06.00 बीघा ग्राम दूंढा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की संयुक्त खातेदारी का उपरोक्त खसरों की पैतृक आया हुआ है। वादीगण द्वारा इतर उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एवं प्रतिवादीगण पर अवांछित दबाव बनाने के लिए उक्त खसरा संख्या 977/392 रकबा 06.00 बीघा को वाद की विषयवस्तु में सामिल नही किया है. ऐसी दशा मे प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के जवाब एवं काउन्टर क्लेम इस आशय का

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

स्तुत किया कि वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 977/392 रकबा 06.00 बीघा का भी विभाजन किया जावे। खसरा संख्या 977/392 रकबा 06.00 बीघा में वादी संख्या 01 का 1/6, वादी संख्या 02 का 1/6 वादी संख्या 03 का 1/6 तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/6 एवं प्रतिवादी संख्या 03 का 1/6 हिस्सा बनता है क्यो कि वादीगण संख्या 01 से 03 एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को पिता स्व. हराराम के उत्तराधिकारी होने से उक्त सभी खेतों की खातेदारी विरासत में मिली है। लिहाजा खसरा संख्या 811/403 के अतिरिक्त समस्त खेतों में उक्तानुसार हम प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का हिस्सा दर्ज किया जावें। खेत खसरा संख्या 811/403 रकबा 02.02 बीघा मौजा दूंढ़ा के सम्बन्ध में एक अन्य वाद संख्या 119/02 इसी न्यायालय मै विचाराधीन है। लिहाजा उक्त खसरा संख्या 811/403 का विचारण स्थगित रखा जावें।

वकील वादीगण द्वारा दिनांक 23.03.2017 को एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा दूंढ़ा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 811/403, 840/427, 1162/427 व 1167/395 के घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। उक्त वाद में खसरा संख्या 811/407 रकबा 02.02 बीघा की रत्तदुआ नही चाहते है। लिहाजा खसरा संख्या 811/407 में प्रतिवादी संख्या 04 का नाम डिलिट किया जावे। उक्त आवेदन के मद्देनजर खसरा संख्या 811/407 के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 04 के विरूद्ध रत्तदुआ वापिस लेने से खसरा संख्या 811/407 रकबा 02.02 बीघा प्रतिवादी संख्या 04 का नाम खेराजराम का नाम डिलिट किया जाता है।

साक्ष्य में वादी मेवाराम एवं प्रतिवादी संख्या 02 वीरमाराम द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के अनुसार वादग्रस्त भूमि में हिस्से दर्ज करते हुए विभाजन किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

बहस सुनी गई। वकुलाय फरीकेन द्वारा अपनी बहस में अवगत करवाया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि हैं तथा वाद पत्र एवं प्रतिदावा मय काउन्टर क्लेम मे अंकित हिस्सा अनुसार खातेदारी का घोषित कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाने पर उन्हे कोई आपति नही है।

प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनापरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 से 03 वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार है, जो हराराम के पुत्र है तथा वादग्रस्त भूमि मे प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा निहित है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा दूंढ़ा पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 977/392 रकबा 06.00 बीघा, खसरा संख्या 840/427 रकबा 03.17 बीघा, खसरा संख्या 1162/427 रकबा 03.11 बीघा व खसरा संख्या 1167/395 रकबा 0.12 बीघा में वादी संख्या 01 का 1/6, वादी संख्या 02 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 03 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 का

(SDO)

1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/6 एवं प्रतिवादी संख्या 03 का 1/6 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्राथमिक डिकरी जारी हो। तहसीलदार बाडमेर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि मौजा दूंढा पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 977/392 रकबा 06.00 बीघा, खसरा संख्या 840/427 रकबा 03.17 बीघा, खसरा संख्या 1162/427 रकबा 03.11 बीघा व खसरा संख्या 1167/395 रकबा 0.12 बीघा में वादी संख्या 01 का 1/6, वादी संख्या 02 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 03 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/6 एवं प्रतिवादी संख्या 03 का 1/6 हिस्सा कब्जा काश्त की भूमि पक्षकारान एवं मौतबिरान की उपस्थिति में विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर एक माह में उपलब्ध करवाये। कमीश्नर शुल्क रू. 1500/- निर्धारित की जाती है जो वादीगण द्वारा अदा की जायेगी।

(चेतन कुमार त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 24.04.2017 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री चेतन कुमार त्रिपाठी (आर.ए.एस.)   प्राथमिक डिक्री

अनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 मेवाराम 2 उदाराम 3 हेमन्त पिसरान हराराम जाति माली निवासी कवास तहसील व जिला बाड़मेर।		1 बालाराम 2 वीरमाराम 3 नरेन्द्र पिसरान हराराम 4 खेराजराम पुत्र उम्मेदाराम जाति माली निवासी दूंढा (कवास) तहसील व जिला बाड़मेर 5 तहसीलदार बाड़मेर।

दावा बाबत् 88,188,53 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 32/2016
निर्णय दिनांक :– 24.04.2017

वकील वादीगण उपस्थित। वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 03 उपस्थित। इस वाद में आज तारीख 24.04.2017 को श्री चेतन कुमार त्रिपाठी, उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिकरी दी जाती है कि :–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा प्रस्तुत कान्टर क्लेम प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा दूंढा पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 977/392 रकबा 06.00 बीघा, खसरा संख्या 840/427 रकबा 03.17 बीघा, खसरा संख्या 1162/427 रकबा 03.11 बीघा व खसरा संख्या 1167/395 रकबा 0.12 बीघा में वादी संख्या 01 का 1/6, वादी संख्या 02 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 03 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/6 एवं प्रतिवादी संख्या 03 का 1/6 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है।

तहसीलदार बाड़मेर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि मौजा दूंढा पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 977/392 रकबा 06.00 बीघा, खसरा संख्या 840/427 रकबा 03.17 बीघा, खसरा संख्या 1162/427 रकबा 03.11 बीघा व खसरा संख्या 1167/395 रकबा 0.12 बीघा में वादी संख्या 01 का 1/6, वादी संख्या 02 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 03 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/6 एवं प्रतिवादी संख्या 03 का 1/6 हिस्सा कब्जा काश्त की भूमि पक्षकारान एवं मौतबिरान की उपस्थिति में विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर एक माह में उपलब्ध करवाये। कमीश्नर शुल्क रू. 1500/– निर्धारित की जाती है जो वादीगण द्वारा अदा की जायेगी।

यह आज तारीख 24.04.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(S D O)

(चेतन कुमार त्रिपाठी)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड		जोड	

Scanned by CamScanner